न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।
उपस्थितः श्री अशोक कुमार दुबे–प्रथम (एच०जे०एस०),
जे०ओ०कोड०–UP 6081

1–सत्र परीक्षण संख्याः–433/2014 (लीडिंग पत्रावली)
कम्प्यूटर पंजीयन सं०–600433/2014
CNR NO.–UPLP–0100–2445–2014

उ०प्र० राज्य ....**अभियोजन पक्ष।**

बनाम

1–ओमकार उम्र चालीस वर्ष पुत्र हरिनन्दन,
2–फग्गू उम्र चालीस वर्ष पुत्र कल्लू,
3–विशम्भर उम्र पैंतीस वर्ष पुत्र हरिनन्दन,
4–मिश्रीलाल उम्र पचास वर्ष पुत्र कल्लू,
निवासीगण चन्द्रासा खुर्द, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी,

.........................**अभियुक्तगण।**

मु०अ० सं०–512/2006,
धारा–307,401,398 भा०द०सं०,
थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी।

2–सत्र परीक्षण संख्याः–434/2014
कम्प्यूटर पंजीयन सं०–600434/2014
CNR NO.–UPLP–0100–2446–2014

उ०प्र० राज्य ....**अभियोजन पक्ष।**

बनाम

ओमकार उम्र चालीस वर्ष पुत्र हरिनन्दन ,निवासी चन्द्रासा खुर्द, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी,

..................**अभियुक्त।**

मु०अ० सं०–513/2006,
धारा–25(I–B) आयुध अधिनियम,
थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी।

अभियोजन की ओर से–श्री रमा रमन सैनी,

विद्वान बचाव पक्ष अधिवक्ता–श्री लक्ष्मी शंकर शुक्ला, श्री राजेश कुमार, लकी कुमार मिश्र,

घटना की तिथि–21.10.2006, समय 23.20 बजे,

प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत दिनांक–22.10.2006, समय 02.30 A.M. बजे,

संज्ञान लिये जाने की तिथि–05.02.2007,

सत्र सुपुर्द की तिथि–13.05.2014,

आरोप विरचित किये जाने की तिथि–11.07.2014

अभियोजन साक्ष्य की तिथि–दिनांक 07.10.2025 से 09.06.2026 तक,

<u>साक्षीगण के नाम–</u>

पी०डब्लू०–1 से०उ०नि० बलराम यादव,

पी०डब्लू०–2 से०उ०नि० रामायण सिंह,

बयान अभियुक्त अंकित किये जाने की तिथि–14.07.2026,

बहस की तिथि–13.08.2026

निर्णय की तिथि–21.08.2026

"निर्णय"

1– सत्र परीक्षण सं० –433/2014 के मामले में अभियुक्तगण **ओमकार, फग्गू, विशम्भर तथा मिश्रीलाल** का विचारण मु०अ०सं०–512/2006, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी में आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा–307, 401, 398 भा०दं०सं०में एवं सत्र परीक्षण सं०–434/2014 के मामले में अभियुक्त **ओमकार** का भी विचारण मु०अ०सं०–513/2006, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी में आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा–25(I–B) आयुध अधिनियम, की बाबत एक साथ इस न्यायालय द्वारा किया गया। कालान्तर में पत्रावली मा०जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेशानुसार अंतरण से इस न्यायालय को प्राप्त हुयी। तत्पश्चात उपरोक्त सत्र परीक्षण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया।

<u>अभियोजन कथानकः–</u>

2– संक्षेप में सत्र परीक्षण संख्या–433/2014, (राज्य बनाम ओमकार आदि) के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा एस०ओ०के०सी०गुप्ता, थाना–ईसानगर, जिला–खीरी ने दिनांक 22.10.2006 को थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी, पर फर्द/लिखित तहरीर इस आशय की प्रस्तुत की थी कि किः–

3– *"आज दिनांक 21.10.2006 को मैं उ०नि० के०सी०गुप्ता मय कां०रामायण सिंह व कां० 115 इन्द्रप्रकाश सिंह व HG 3056 जयप्रकाश कके थाने से बहवाले रपट सं०–14 समय 15.10 बजे वास्ते मेला रामलीला ग्राम मुखालिसपुर शान्ति व्यवस्था डियूटी में रवाना होकर पहुंचा तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि ग्राम मितौली से आने वाले कच्चे रास्ते पर झन्डों की आड में कुछ चोर एकत्र हो रहे हैं, जिनके पास नाजायज असलहा है, यदि जल्दी की जाये तो पकडे जा सकते हैं, इस बात पर विश्वास करके मैं उ०नि० मय हमराह कर्मचारीगणों के मुखालिसपुर रामलीला से मय मुखबिर के सडक पैदल–पैदल शेखापुर की तरफ चले कि सडक से बांये और ग्राम मितौला जाने वाले अगले रास्ते के पास पहुंचकर मुखबिर ने इशारे से बताया कि इसी कच्ची सडक पर करीब पचास कदम की दूरी पर झुन्डों की आड से तीर चार आदमी बैठे हैं, तथा आने जाने वाले व्यक्तियों को लूटने व चोरी की योजना बना रहे हैं, मुखबिर बताकर चला गया तभी मैं उ०नि०मय हमराह कर्मचारीगण के दबे पांव पक्की सडक से क्ची सडक पर चले कि गन गनाह व बीडी सुलगाने की आहट हुयी कि तभी झुडों की आड में खडे होकर कान लगाकर सुना तो उनसें से एक आदमी कह रहा था कि अब काफी रात हो गयटी है, इस रास्ते पर कोई नहीं आयेगा, किसको लूटा जा सके, तभी उनमें से तीन आदमियों ने कहा कि चले ग्राम मितौला में सोहन लाल वर्मा व केदार का घर गांव के बाहर साइड में हैं, चलकर उनके मकान में चोरी करते हैं, काफी माल मिलेगा, तभी उनमें से एक आदमी ने कहा कि टूटे तुम छतपर चढकर इधर उधर देखते रहना और हम लोग उपर चढकर नीचे उतर आयेंगे, यह बात कहकर उनमें से एक व्यक्ति बोला कि आज काफी रात हो गयी है, और रामनरेश व खालिफ नहीं आयेंगे जिनका इन्तजार करना बेकार है, तभी उनमें से एक बोला हमारे पास काफी असलहा है, तभी एकदम जय बजरंग करते हुये खजे हुये तभी हम लोगों को पूर्ण यकीन हो गया कि यह चोरों का गिरोह है, तभी हम लोगों ने चारों ओर से घेरकर कहा कि भागने की कोशिश मत*

*करना तुम लोग पुलिस के घेरे में हो, अपने–अपने हथियार डाल दो, तभी उनमें से एक ने कहा कि देखते हैं क्या हो, मार दो सालों को तभी उनमें से एक फायर मेरी ओर तथा एक फायर हम लोगों को जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर कर दिया, जिससे हम लोग बाल बाल जमीन के लेटने के बाद बच गये, तभी एक दम दबिश देकर व टार्चों की रोशनी डालकर रात्रि समय करीब 23.00 बजे कच्ची सडक मितौला पर चार व्यक्तियों को पकड लिया, पकडे जाने पर नामपता पूछते हुये जामातलाशी ली गयी तो __एक__ ने अपना नाम **ओमकार पुत्र हरिनन्दन पासी निवासी ग्राम चन्द्रासा खुर्द थाना–ईसानगर खीरी** बताया, जिसकी जामातलाशी से दाहिने हाथ में एक अदद बन्दूक देशी बारह बोर, जिनकी नाल से एक खोखा कारतूस तथा पहनी शर्ट की जेब से एक अदद कारतूस जिन्दा बारह बोर नं० –1 का बरामद हुआ। __दूसरे__ ने अपना नाम **फग्गू पुत्र कल्लू निवासी ग्राम चन्द्रासा खुर्द थाना–ईसानगर खीरी** जिसकी जामातलाशी से दाहिने हाथ से एक अदद अद्धी बन्दूक बारह बोर, शर्ट की जेब से एक अदद कारतूस, उसके अंदर एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। __तीसरे__ ने अपना नाम **मिश्रीलाल पुत्र कल्लू निवासी ग्राम चन्द्रासा खुर्द थाना–ईसानगर खीरी** बताया, जिसकी जामातलाशी से एक लाठी बरामद हुयी तथा __चौथे__ ने अपना नाम **विशम्भर पुत्र हरिन्दन निवासी ग्राम चन्द्रासा खुर्द थाना–ईसानगर खीरी** जिसकी जामातलाशी बांये हाथ में एक **पेचकश लोहे** का बरामद हुया। उपरोक्त में से बन्दूक, खोखा कारतूस व एक अदद कारतूस को एक सफेद कपडे में रखकर सिलकर तथा दूसरे सफेद कपडे में दूसरी अद्धी बंदूक, खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस सिलकर सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया तथा बरामद लाठी व पेशकश पर चिटबन्दी की गयी तथा वहीं मोटरसाइकिल पर बैठकर फर्द मैंने टार्च की रोशनी में लिखकर पढकर हमराहीयान को सुनाकर उनके हस्ताक्षर बनवाये गये तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में मा०सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुये चारों अभियुक्तों को फर्द की एक–एक नकल देकर नि०अंगूठा बनवाया गया तथा इनकी गिरफ्तारी की सूचना कां०इन्द्रप्रकाश द्वारा इनके मकान पर उनके पिता को दिलवायी गयी तथा चोरों अभियुक्तों को उनके जुर्म धारा–398, 401, 307 IPC व धारा–25 A.ACT से अवगत कराया गया।"*

__प्रकरण की विवेचनाः–__

4– उपरोक्त तहरीर/फर्द बरामदगी के आधार पर थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी पर अभियुक्तगण **ओमकार, फग्गू, विशम्भर तथा मिश्रीलाल** के विरूद्ध मु०अ०सं०–512/2006, अन्तर्गत धारा–307,401,398 भा०दं०सं०पंजीकृत किया गया, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसका खुलासा कायमी जी.डी. पर उसी समय व दिनांक पर किया गया तथा मामले की विवेचना विवेचक के सुपुर्द की गयी, जिसने वादी की निशानदेही पर नक्शा नजरी व साक्षीगण के बयानात अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० अभिलिखित किये तथा विवेचना सम्बन्धित अन्य समस्त औपचारिकता पूर्ण करने के उपरान्त, अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा –307,401,398 भा०दं०सं० के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– __इसके अतिरिक्त सत्र परीक्षण सं० –434/2014 (राज्य बनाम ओमकार), मु०अ०सं०–513/2006, अन्तर्गत धारा–25(I–B) आयुध अधिनियम, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी, के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि__, दिनांक 21.10.2006 को वादी मुकदमा उपरोक्त द्वारा बमय हमराहियान पुलिसकर्मीगण, अभियुक्त ओमकार को गिरफ्तार किया गया तो अभियुक्त की तलाशी से दाहिने हाथ में एक अदद बन्दूक देशी बारह बोर, जिनकी नाल से एक खोखा कारतूस तथा पहनी शर्ट की जेब से एक अदद कारतूस जिन्दा बारह बोर नं०–1 बरामद हुआ।

6– माल मुकदमा संबंधित मु०अ०सं०–512/2006, जिसका विवरण फर्द बरामदगी में वर्णित है, फर्द व गिरफ्तारी मेमो, के आधार पर अभियुक्त ओमकार के विरूद्ध मु०अ०सं०–513/2006, अन्तर्गत धारा–25(I–B) आयुध अधिनियम, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी पर कायम किया गया, चिक, जिसका इन्द्राज भी कायमी जी.डी. पर किया गया। मामले से संबंधित नक्शा नजरी तैयार किया गया। आयुध अधिनियम के तहत अभियोग चलाये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट से अभियोग स्वीकृति की अनुमति प्रदान की गयी तथा विवेचक द्वारा विवेचना संबंधित सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत अभियुक्त ओमकार के विरूद्ध अं०धारा–25(I–B) आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

7– इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त फग्गू को अभियुक्त ओमकार के साथ ही गिरफ्तार किया जाना कहा गया है और उसकी जामातलाशी से दाहिने हाथ से एक अदद अद्धी बन्दूक बारह बोर, शर्ट की जेब से एक अदद कारतूस, उसके अंदर एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त फग्गू के विरूद्ध पंजीकृत मु०अ० सं०–514/2006, अं०धारा–25(I–B) आयुध अधिनियम, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी पंजीकृत किया जाना दर्शित है, परन्तु उसका विचारण उपरोक्त सत्र परीक्षण के साथ नहीं किया जा रहा है।

<u>प्रसंज्ञानः–</u>

8– तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी ने दिनांक 05.02.2007 को प्रेषित आरोप पत्रों पर प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण को आहूत करने के पश्चात उपरोक्त दोनों प्रकरणों में अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी।

<u>सत्र सुपुर्दगीः–</u>

9– तत्पश्चात तत्कालीन तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांकित 13.05.2014 को अभियुक्तगण **ओमकार, फग्गू, विशम्भर तथा मिश्रीलाल** के विरूद्ध मु०अ०सं०–512/2006 में प्रेषित आरोप पत्र, अन्तर्गत धारा–307,401,398 भा०दं०सं० का अभियोग अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने व अभियुक्त ओमकार के विरूद्ध मुकदमा अ०सं० –513/2006, अन्तर्गत धारा–25(I–B)आयुध अधिनियम में प्रेषित आरोप–पत्र का अभियोग, जोकि मु०अ०सं0–512/2006, अन्तर्गत धारा–307,401,398 भा०दं०सं० से सम्बंधित होने के कारण, उक्त दोनों प्रकरणों को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया, जिसे क्रमशः सत्र परीक्षण सं०–433/2014 (राज्य बनाम ओमकार आदि) एवं सत्र परीक्षण सं०–434/2014 (राज्य बनाम ओमकार) पर दर्ज किया गया।

<u>आरोप की धारायेंः–</u>

10– तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० –4, लखीमपुर खीरी ने सत्र परीक्षण संख्या–433/2014 में दिनांक 11.07.2014 को **अभियुक्तगण ओमकार, फग्गू, विशम्भर तथा मिश्रीलाल** के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–307,401,398 भा०दं०सं० का विरचित किया, अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उन्होने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

11– उसी अनुक्रम में तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० –4, लखीमपुर खीरी ने दिनांक–11.07.2014 को सत्र परीक्षण संख्या–434/2014, में अभियुक्त ओमकार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–25 (I–B) आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किया तथा अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उन्होने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

12– उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण एक ही अपराध एवं घटना से सम्बन्धित होने के कारण कालान्तर में उपरोक्त दोनों पत्रावलियों को माननीय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर के आदेशानुसार एक ही न्यायालय में स्थानान्तरित होने के उपरान्त उपरोक्त मामलों के तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को निवारित किये जाने के उद्देश्य से दोनों सत्र परीक्षणों में , **सत्र परीक्षण संख्या–433/2014,** राज्य बनाम ओमकार आदि, को **अग्रणी पत्रावली** मानते हुये, संयुक्त रूप से साक्ष्य अभिलिखित किया है।

<u>अभियोजन के दस्तावेजी साक्ष्यः–</u>

13– अभियोजन की ओर से कथानक के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

क्र.	प्रदर्श सं०	प्रपत्र का नाम	साबितकर्ता
1	**प्रदर्श क–1**	नक्शा नजरी	**पी०डब्लू०–1**
2	**प्रदर्श क–2**	आरोप पत्र मु०अ० सं०–512/2006	**पी०डब्लू०–1**
3	**प्रदर्श क–3**	आरोप पत्र मु०अ० सं०–513/2006	**पी०डब्लू०–1**
4	**प्रदर्श क–4**	फर्द बरामदगी/लिखित तहरीर	**पी०डब्लू०–2**
5	**वस्तु प्रदर्श–1**	अभियुक्त फग्गू से बरामद अद्धी	**पी०डब्लू०–2**
6	**वस्तु प्रदर्श–2**	अभियुक्त फग्गू से बरामद जिन्दा कारतूस	**पी०डब्लू०–2**

7	**वस्तु प्रदर्श–3**	अभियुक्त फग्गू से बरामद खोखा कारतूस	**पी०डब्लू०–2**
8	**वस्तु प्रदर्श–4**	अभियुक्त ओमकार से बरामद देशी बंदूक	**पी०डब्लू०–2**
9	**वस्तु प्रदर्श–5**	अभियुक्त ओमकार से बरामद जिन्दा कारतूस	**पी०डब्लू०–2**
10	**वस्तु प्रदर्श–6**	अभियुक्त ओमकार से बरामद खोखा कारतूस	**पी०डब्लू०–2**

इसके अतिरिक्त चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, कायमी जी०डी०, अभियोजन स्वीकृति प्रपत्र बाबत आयुध अधिनियम तथा आर्मोरर रिपोर्ट की औपचारिक सत्यता बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गयी।

अभियोजन के मौखिक साक्ष्यः–

14– अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित मौखिक साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है–
पी०डब्लू०–1 से०उ०नि० बलराम यादव,
पी०डब्लू०–2 से०उ०नि० रामायण सिंह,

15– पी०डब्लू०–1 **सेवानिवृत उपनिरीक्षक बलराम यादव** पुत्र स्व० श्री छेदी प्रसाद यादव निवासी दोगहरा थाना परसा मलिक जनपद महाराजगंज ने जनपद न्यायालय गोरखपुर के वी०सी०रूम में उपस्थित आकर जरिए वी०सी० सशपथ बयान किया कि–"मैं दिनांक 22.10.2006 को थाना ईसानगर पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने मु०अ०सं० 512/2006 अन्तर्गत धारा 398,401,307 ipc विरुद्ध ओमकार व तीन नफर अभियुक्त के विरुद्ध एवं मु०अ०सं० 513/2006 अन्तर्गत धारा 25 (1–B) A.Act विरुद्ध ओमकार एवं मु०अ०सं० 514/2006, अन्तर्गत धारा 25 (1–B) A.Act विरुद्ध फग्गू विवेचना ग्रहण की थी। उस दिन मैंने नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर केस डायरी पर अंकित किया था तथा उसी दिन एफ०आई०आर० लेखक राजकुमार सिंह तथा गिरफ्तारशुदा अभियुक्त ओमकार विशम्भर मिश्री लाल एवं फग्गू का बयान लेकर केस डायरी पर अंकित किया था। दिनांक 25.10.2006 को मुकदमावादी उपनिरीक्षक के०सी०गुप्ता तथा चश्मदीद गवाह कॉस्टेबल रामायन सिंह व गवाह इंन्द्र प्रकाश सिंह समयी साक्षी राजकुमार व रामशंकर के बयान लेकर केस डायरी पर अंकित किया था तथा उसी दिन मुकदमा वादी की निशानदेही पर मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया था तथा अपने हस्तलेख में नक्शानजरी तैयार किया था। मेरे द्वारा तैयार **नक्शानजरी** पत्रावली पर मौजूद कागज सं० क–8 मेरे समक्ष है। मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। जिसकी कार्बन प्रति मैंने मु०अ०सं० 513 व 514 में भी संलग्न किया था। दिनांक 08.11.2006 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से अभियुक्त ओमकार एवं फग्गू के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 25 (1–B) A.Act अभियोग चलाये जाने की अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त ओमकार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 25(1–B) A.Act एवं अभियुक्त ओमकार, विशंभर, मिश्री, फग्गू के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 398,401,307 ipc बखूबी साबित होने पर उक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में अपने हस्तलेख में आरोप पत्र तैयार कर अपने हस्ताक्षर बना कर आरोप पत्र सं० 161/6 एवं 162/6 न्यायालय को प्रेषित किया था। मेरे द्वारा प्रेषित **आरोप पत्र सं०** 161/6 मेरे समक्ष सत्र परीक्षण सं० 433/2014 व **आरोप पत्र** सं० 162/6 सत्र परीक्षण सं० 434/2014 में संलग्न मेरे लेख में तथा इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–2** व **प्रदर्श क–3** डाला गया। मेरे ईसानगर थाने पर तैनाती के दौरान कॉस्टेबल मोहर्रिर राजकुमार सिंह मेरे साथ तैनात रहे थे। उन्हें मैंने लिखते व हस्ताक्षर करते देखा था, उनके लेख व हस्ताक्षर को देखकर मैं भली भाँति पहचान सकता हूँ। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० क –5 चिक एफ०आई०आर० एवं कागज सं० ख–5 नकल कायमी गवाह को दिखाया गया। गवाह ने देखकर कहा कि यह कॉस्टेबल मोहर्रिर राजकुमार सिंह के लेख में है इस पर बने हस्ताक्षर राजकुमार सिंह के हैं जिन्हें मैं भली भाँति पहचान रहा हूँ।"

16– **अभियुक्त विशंभर** की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार द्वारा **प्रति परीक्षा** की गयी, जिसमें साक्षी ने कथन किया है कि–"मैं इस मामले का विवेचक हूँ। मु०अ०सं० 512/2006, 513/2006, 514/2006 की विवेचना एक साथ मेरे द्वारा की गयी थी। फर्द मैंने नहीं तैयार की थी। मुल्जिमानों की गिरफ्तारी मेरे द्वारा नहीं की गयी थी। इस मुकदमे की विवेचना मुझे 22.10.2006 को

प्राप्त हुई थी। मैं नहीं बता सकता कि मुल्जिमानों की गिरफ्तारी किस दिनांक को की गई क्योंकि गिरफ्तारी मेरे द्वारा नहीं की गयी थी। वादी पक्ष में किसी को कोई चोट नहीं आई थी। अभियुक्त ओमकार व अभियुक्त फग्गू के द्वारा फायरिंक तमंचे से की गयी थी। विशंभर के कब्जे से अदद् पेंचकस और मिश्री लाल के कब्जे से एक अदद् लाठी बाँस बरामद हुआ था। गिरफ्तारी मेमो मेरे द्वारा तैयार नहीं किया गया था। प्रथम विवेचक मैं हूँ और मेरे द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। थाने से घटनास्थल की दूरी 5km दक्षिण की ओर है। मैं ऐसा नहीं बता सकता कि थाने की दूरी व दिशा पश्चिम अंकित हो। घटनास्थल के आस पास काफी जंगल झाड़ था। जब यह कथित घटना कही जाती है उस समय मैं पुलिस टीम के साथ मौजूद नहीं था। मैंने केस डायरी में उपनिरीक्षक के०सी०गुप्ता तथा चश्मदीद गवाह कॉस्टेबल रामायन सिंह व गवाह इन्द्र प्रकाश सिंह समयी साक्षी राजकुमार व रामशंकर के बयान अंकित किये थे। इन लोगों के बयान मैंने घटना के चार दिन बाद अंकित किये थे। मैंने केस डायरी में गवाहों का किस समय बयान अंकित किया था यह अंकित नहीं किया है। फर्द बरामदगी में माल आज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं है। राजकुमार सिंह थाना ईसानगर पर कॉस्टेबल मोहर्रिर के पद पर तैनात थे। राजकुमार सिंह अपने हस्ताक्षर हिन्दी में बनाते थे। चिक एफ०आई०आर० पर राजकुमार सिंह के हस्ताक्षर हिन्दी में अंकित हैं। नाम लिखा है हस्ताक्षर नहीं है। फर्द पर जनता के किसी साक्षी के हस्ताक्षर नहीं हैं। घटनास्थल के पास पडोस लगभग 3–4 किलोमीटर तक कोई गाँव नहीं है। मैंने एफ०एस०एल० के लिये असलहे नहीं भेजे थे। घटनास्थल के पास बहराइच हाइवे नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने अभियुक्त विशंभर को घर से बुलाकर फर्जी चालान किया हो। यह भी कहना गलत है कि विशंभर के पास से पेचकस बरामद ना हुआ हो। यह सही है कि फर्द में पेचकस की लंबाई मोटाई अंकित नहीं है लेकिन प्लास्टिक की मोठ लगी है यह अंकित है। फर्द पर किसी भी स्वतंत्र जनता के साक्षी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। फर्द की प्रति मुल्जिम को प्राप्त कराई गयी थी या नहीं यह मैं नहीं बता सकता। मैंने सभी साक्षी राजकुमार व रामशंकर का बयान अंकित किया है। एक मुखलिस पुर गाँव के तथा दूसरे पुरषोत्तम नगर का रहने वाला है। सूची गवाहान में समयी साक्षियों के नाम अंकित नहीं किये थे। रास्ते के किनारे झाड़ियों से मुल्जिमानों को जाते हुये दिखाया है। मेरे द्वारा मुल्जिमान का बयान थाने पर अंकित किया गया था उसके बाद न्यायालय प्रेषित किया गया था। यह कहना गलत है कि सभी साक्षी के नाम मैंने फर्जी अंकित किये हों। अभियुक्त विशंभर के द्वारा किसी पर कोई वार नहीं किया गया है। इस घटना से पहले अभियुक्त विशंभर पर कोई अन्य मुकदमे की जानकारी मुझे नहीं है। इस मुकदमे से एक साल पूर्व से मैं थाने पर तैनात था। मैंने अपने फर्द में अंकित किया है कि मुल्जिमान लूट व चोरी की योजना बना रहे थे। वादी के द्वारा बताने के अनुसार लूट व चोरी की योजना बनाये जाने की बात मैंने फर्द में अंकित की है। मितौला गाँव घटनास्थल से एक सवा एक किलोमीटर पड़ता है। यह कहना गलत है कि फर्द गलत तैयार की गयी हो। यह भी कहना गलत है कि नक्शानजरी घटनास्थल पर पहुँच कर ना बनाई गयी हो। गिरफ्तारी मेमो मेरे द्वारा तैयार नहीं किया गया है और इस समय मेरे सामने मौजूद नहीं है पत्रावली में शामिल होगा। जी०डी० व चिक एफ०आई०आर० अलग अलग काटी जाती है। दोनों का समय एक ही समय होता है अलग अलग नहीं होता है। चिक किता करने में आधा घंटा लगा होगा। कायमी तैयार करने में दस मिनट लगा होगा। यह कहना गलत है कि मुल्जिम के द्वारा कोई घटना कारित ना की गयी हो। यह भी कहना गलत है कि उच्चाधिकारियों से साबाशी मिलने के कारण मुल्जिम को झूठा फसाया गया हो और झूठा मुकदमा लिखाया गया हो। यह भी कहना गलत है, कि मैंने थाने पर बैठकर मुकदमे की समस्त कार्यवाही की हो। यह भी कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ।

17– शेष सभी अभियुक्तगण की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** की गयी, जिसमें साक्षी ने कथन किया है कि–"जॉइन्ट रिकवरी मेमो कानूनन वैध है। मैंने नक्शा नजरी वादी की निशानदेही पर बनाया था। थाने के दरोगा को गाँव में कौन सा खेत किसका है, की जानकारी नहीं होती है। यह कहना गलत है कि मैंने सारी विवेचना थाने पर बैठकर की हो। यह भी कहना गलत है कि बिना साक्षियों के बयान लिये गलत तरीके से नक्शानजरी तैयार की हो। यह भी कहना गलत है अभियुक्तगण के विरुद्ध बिना साक्ष्य के आरोप पत्र दाखिल किया हो। यह भी कहना गलत है कि मैं आज उक्त गलत विवेचना के आधार पर न्यायालय में गलत बयान दे रहा होऊँ।

18– पी०डब्लू०–2 **सेवानिवृत उपनिरीक्षक रामायण सिंह** पुत्र स्व० श्री सोनेलाल हाल पता ग्राम व पोस्ट उदनपुर थाना कदौरा जनपद जालौन ने जनपद न्यायालय जालौन के वी०सी०रूम में उपस्थित

आकर जरिए वी०सी० सशपथ बयान किया कि–"दिनांक 21.10.2006 को मैं थाना ईसानगर पर बतौर कॉ० तैनात था और उक्त दिनांक को मैं एस०आई० के०सी० गुप्ता का हमराह था। एस०आई० के० सी० गुप्ता क्षेत्र में हमराहीगण के साथ मेला रामलीला ग्राम मुखलिस पुर में शांति व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात थे। मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम मितौला से आने वाले कच्चे रास्ते पर झुंडों की आढ में कुछ चोर एकत्र हो रहे है जिनके पास नाजायज असलहा है। इस बात पर विश्वास करके उपनिरीक्षक के०सी० गुप्ता तथा हम हमराहीगण के साथ रामलीला से मय मुखबिर सड़क सड़क पैदल शेखपुर की तरफ चले। सड़क से बांयी ओर ग्राम मितौला जाने वाले अगले रास्ते के पास पहुँचकर मुखबिर ने इशारे से बताया की इसी सड़क पर पचास कदम की दूरी पर झुंडों की आढ से तीन चार आदमी बैठे है और आने वाले व्यक्तियों को लूटने व चोरी की योजना बना रहे है। मुखबिर बता कर चला गया। एस०आई० के०सी०गुप्ता व हम हमराहीगण दबे पाँव पक्की सड़क से कच्ची सड़क पर चले की गुनगुनाहट व बीड़ी सुलगाने की आहट हुई। तभी झुंडों की आढ़ में खड़े होकर सुना तो उसमें से एक आदमी कह रहा था कि अब काफी रात हो गयी है अब इस रास्ते पर कोई नहीं आयेगा जिसको लूटा जा सके। तभी उनमें से तीन आदमियों ने कहा कि चले ग्राम मितौला में सोहनलाल वर्मा व केदार का घर गाँव के बाहर है चल कर उसके मकान में चोरी करते है काफी माल मिलेगा। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा कि टूटे तुम छत पर चढ़ कर इधर उधर देखते रहना हम लोग नीचे उतर जायेंगे। यह बात कह कर उनमें से एक व्यक्ति बोला कि आज काफी रात हो गयी है और रामनरेश व खालिक नहीं आयेगे जिनका इंतजार करना बेकार है। एक बोला हमारे पास काफी असलहा है तभी एक दम जय बजरंगबली कहकर खड़े हुए तब हम लोगों को पूर्ण यकीन हो गया कि यह चोरों का गिरोह है। तभी हम लोग चारों ओर से घेरकर कहा कि भागने की कोशिश मत करना हम लोग पुलिसके घेरे में हो, अपने अपने हथियार डाल दो। तभी उनमें से एक ने कहा कि देखते क्या हो मार दो सालों को तभी उनमे से एक फायर मेरी ओर तथा एक फायर एस०आई० की तरफ तथा एक फायर जान से मार देने की नियत से हम पुलिस पार्टी पर कर दिया। हम लोगों ने अपना बचाव जमीन पर लेटकर किये। एक बार की दबिश देकर टार्चो की रोशनी डालकर रात्रि समय 23:00 बजे कच्ची सड़क मितौला पर चार व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तथा जामातलाशी ली गयी।पकड़े गये व्यक्ति में से पहले ने अपना नाम ओमकार पुत्र हरिनन्दन पासी निवासी ग्राम चन्द्रासाखुर्द थाना ईसानगर जिला खीरी बताया जिसकी जामातलाशी लेने पर दाहिने हाथ से एक अदद बंदूक देशी 12 बोर चालू हालत में बरामद हुई। नाल को खोलकर देखा गया तो उसके अंदर एक खोखा कारतूस फसा हुआ मिला जिसे नाल से निकाल कर अलग किया गया। पहनी शर्ट की जेब से एक अदद कारतूस 12 बोर जिन्दा बरामद हुआ। पकड़े गये दूसरे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम फग्गू पुत्र कल्लू निवासी चन्द्रासाखुर्द थाना ईसानगर जिला खीरी बताया जिसकी जामातलाशी लेने पर दाहिने हाथ से एक अदद अद्धी बरामद हुई। पहनी शर्ट की सीने की जेब से एक अदद कारतूस नम्बर 1 व उसके अन्दर एक खोखा कारतूस ताजा चला हुआ बरामद हुआ जिसे नाल से निकालकर अलग किया गया। पकड़े गये तीसरे व्यक्ति ने नाम पता पूछन पर अपना नाम मिश्रीलाल पुत्र कल्लू निवासी चन्द्रासाखुर्द थाना ईसानगर जिला खीरी बताया जिसकी जामातलाशी लेने पर हाथ से एक अदद लाठी (बांस) लम्बाई आठ बालिस्त बरामद हुई। चौथ व्यक्ति ने अपना नाम विशम्भर पुत्र हरिनन्दन पासी निवासी ग्राम चन्द्रासाखुर्द थाना ईसानगर जिला खीरी बताया जिसकी जामातलाशी लेने पर दाहिने बांए हाथ एक पेचकर लोहे का जिसमें प्लास्टिक की मुट्ठी लगी हुई बरामद हुआ।बरामद बंदूक, खोखा कारतूस, एक अदद कारतूस को एक सफेद कपड़े में रखकर सील कर तथा दूसरी अद्धी बंदूक व खोखा कारतूस तथा एक जिन्दा कारतूस को अलग दूसरे कपड़े में रखकर सिल कर सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया एवं बरामद लाठी व पेचकर पर चिटबंदी की गयी। वहीं पर मोटरसाइकिलों पर बैठकर टार्च की रोशनी फर्द बरामदगी एस०आई० के०सी०गुप्ता के द्वारा लिखकर तैयार की गयी तथा उनके द्वारा पढ़कर हमराहीगण व अभियुक्तगण को सुनायी गयी तथा सर्व संबंधित के अलामात बनवाये गये। अभियुक्तगण को फर्द की एक एक दी गयी। गिरफ्तारी की सूचना अकब से दी गयी। अभियुक्तगण को उनके जुर्म धारा से अवगत कराकर हिरासत में लेकर मय माल मुल्जिमान हमराहीगण थाना वापस आकर दाखिला कर कर चारों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा उपनिरीक्षक के०सी०गुप्ता द्वारा पंजीकृत कराया गया था। **फर्द** शामिल पत्रावली है जो उपनिरीक्षक के०सी०गुप्ता के लेख व हस्ताक्षर में है तथा मेरे भी हस्ताक्षर बने हुए है जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। बरामदशुदा माल मुकदमा पैरोकार द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माल मुकदमा

अद्धी जिसके ऊपर सफेद कपड़ा मटमैला जगह जगह फटा हुआ गला हुआ है। अद्धी के ऊपर मद सं० 1431/06 अंकित है। कपड़े के धागे को काटकर खोला गया। कपड़े को खोलने पर एक अद्धी, एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस प्राप्त हुए। अद्धी, खोखा व जिन्दा कारसूस को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही अद्धी है जिसे अभियुक्त फग्गू के पास से बरामद किया गया था। **अद्धी** जिस पर **वस्तु प्रदर्श 1, जिन्दा कारतूस** पर **वस्तु प्रदर्श 2** व **खोखा कारतूस** पर **वस्तु प्रदर्श 3** डाला गया। माल मुकदमा एक अदद देशी बंदूक जिसके ऊपर सफेद कपड़ा मटमैला जगह जगह फटा हुआ गला हुआ है जिसके ऊपर काले पेन से मद सं० 1431/06 अंकित है। कपड़े के धागे को काटकर खोला गया। कपड़े को खोलने पर एक देशी बंदूक 12 बोर, एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर प्राप्त हुए। बंदूक, खोखा व जिन्दा कारसूस को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही देशी बंदूक है जिसे अभियुक्त ओमकार के पास से बरामद किया गया था। **देशी बंदूक,** जिस पर **वस्तु प्रदर्श 4, जिन्दा कारतूस** पर **वस्तु प्रदर्श 5** व **खोखा कारतूस** पर **वस्तु प्रदर्श 6** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

19– बचाव पक्ष (अभियुक्त विशम्भर की ओर से) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** की गयी, जिसमें साक्षी ने कथन किया है कि–" फर्द पर मेरे हस्ताक्षर है। विशम्भर से किसी असलहे की बरामदगी नहीं थी। मौके पर हम लोग मोटरसाइकिल से गये थे। हम लोग कुल तीन लोग थे। हम लोग दो मोटरसाइकिलों से गये थे। फर्द में अपनी मोटरसाइकिलों का हवाला नहीं दिया है। मुल्जिमान छः थे चार पकडे गये थे। अन्य दो मुल्जिमानों की तलाश के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मौके का नक्शानजरी मेरे सामने बना था या नहीं याद नही है। विशम्भर के पास से बरामद पेचकस की लम्बाई फर्द मे लिखी थी या नहीं याद नहीं है। बरामद पेचकस की लम्बाई अगर न लिखी हो तो मैं कोई कारण नहीं बता सकता। मुल्जिमान मय माल मौके से थाने पर लेकर गये थे। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में लिखी गयी थी। सारा माल मौके पर ही सर्वसील मोहर किया गया था। फर्द शायद दो पेज में होगी। फर्द लिखने में कितना समय लगा होगा यह बता पाना मुश्किल है। 23:00 बजे की गिरफ्तारी के बाद फर्द लिखना शुरू हो गयी थी। विशम्भर के द्वारा जानलेवा हमला नहीं किया गया था वो अन्य अभियुक्तगण के साथ में थे। बरामद पेचकस आज न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया है। यह कहना गलत है कि विशम्भर को घर से पकड़कर फर्जी चालान कर दिया गया। यह भी कहना गलत है कि विशम्भर इस मामले में शामिल नहीं थे।

20– बचाव पक्ष (शेष अभियुक्तगण की ओर से) द्वारा साक्षी से **प्रति परीक्षा** की गयी, जिसमें साक्षी ने कहा है कि–"मुखबिर द्वारा अभियुक्तगण की सूचना हम लोगों को मिली थी परन्तु स्पष्ट व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता हूँ किसे मिली थी। हम लोग माल सील कर रहे थे दरोगाजी फर्द लिख रहे थे। मुल्जिमान के पास से रुपया, बीड़ी, सिगरेट आदि कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान को पुलिस घर से पकड़ कर लायी थी इसलिए उनके पास से रुपया, पैसा, बीड़ी, सिगरेट आदि प्राप्त नहीं हुआ था। मुल्जिमान को हम सब लोग एक साथ देखे थे। फर्द लिखते समय हम दो सिपाही टार्च दिखा रहे थे। फर्द जमीन पर बैठकर लिखी गयी थी। माल सील करने वाला कपड़ा हम लोगों के साथ में रहता है। कपड़े की कोई नाप चोख नहीं होती है जितनी जरूरत होती है फाड लिया जाता है। मुल्जिमान मे से बजरंगबली की जय किसी ने बोला था अंधेरा होने के कारण जान नहीं पाये किसने बोला था। अभियुक्तगण को पकड़ने से पहले अभियुक्तगण ने फायर किया था। फायर ओमकार व फग्गू ने किया था। किसी पुलिस वाले को फायर नहीं लगी थी हम लोग जमीन पर लेट गये थे। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान को पुलिस घर से पकड़ कर लायी है तथा फर्जी घटना दिखा कर उनका चालान कर दिया है। मुल्जिमान को जब थाने दाखिल करते समय उनके पास से कोई भी चीज बरामद नहीं हुई थी। विवेचक के द्वारा मेरा बयान घटना के कितने दिन बाद लिया गया या मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि विवेचक ने मेरा कोई बयान न लिया हो। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध फर्जी घटना के आधार पर झूठा फसाया गया हो। यह भी कहना गलत है कि फर्द की सारी लिखापढ़ी थाने पर बैठकर की गयी हो जिस कारण अभियुक्तगण के पास से थाने पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ।"

21– अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांक 04.07.2026 को साक्ष्य समाप्त किये जाने अंकन पत्रावली पर अंकित किया गया।

<u>अभियुक्तगण के कथनः–</u>

22– उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षणों में संयुक्त साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दंण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक –14.07.2026 को अभिलिखित किये गये, जिसमें

अभियुक्तगण ने मुख्य रूप से अभियोजन कथानक व पी०डब्लू०–1, 2 के बयान के बाबत बताया है कि गलत है। अपने विरूद्ध रंजिशन मुकदमा कायम कराया जाना कहा है। सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया गया है तथा यह भी कहा है कि वह निर्दोष हैं, उन्हें मुकदमें में झूठा रंजिशन फंसाया गया है।

23– अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का गहनतापूर्वक परिशीलन किया।

<u>बचाव पक्ष के तर्कः–</u>

24– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि न्यायालय में लाठी एवं पेचकश जो बरामद होना कहा गया है, वह प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्यायालय में प्रस्तुत माल मौके पर सील मोहर किया गया, अथवा नहीं, यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है, क्योंकि माल पर कोई सील नहीं पायी गयी है। फर्द में घटनास्थल के लिये प्रस्थान करने के समय का उल्लेख नहीं है। पुलिस अपना गुडवर्क दिखाने के लिये फर्जी मुकदमा किया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियोजन घटना को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से अभियुक्तगण के खिलाफ लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो रहे हैं। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>अभियोजन के तर्कः–</u>

25– विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्ष्यों से अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है। मामला पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर करने का है। अभियुक्तगण के पास से तमंचा बरामद किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध हैं। अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये।

<u>निष्कर्ष</u>

26– न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या अभियुक्त पर, जो अभियोजन की ओर से आरोप लगाये गये हैं, उनको अभियोजन की ओर से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है अथवा नहीं?

27– फर्द के अनुसार दिनांक 21.10.2006 को रपट सं०–14 समय 15.10 बजे वादी मुकदमा मय हमराहियान रवाना हुये एवं जरिये मुखिबर सूचना मिली तथा 23.00 बजे पर पकडा जाना बताया गया है। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि वादी मुकदमा थाने से रपट सं० –14 पर समय 15.10 बजे शान्ति व्यवस्था, ड्यूटी हेतु रवाना हुये थे। वादी मुकदमा को सूचना मुखबिर खास से कितने बजे मिली थी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। ग्राम मुखालिसपुर से घटना स्थल की दूरी का भी कोई उल्लेख नहीं है। मौके पर पहुंचने पर चार व्यक्तियों को पकडा जाना बताया गया है। अभियुक्त ओमकार की जामातलाशी से दाहिने हाथ में एक अदद बन्दूक देशी बारह बोर, जिनकी नाल से एक खोखा कारतूस तथा पहनी शर्ट की जेब से एक अदद कारतूस जिन्दा बारह बोर नं०–1 का होना कहा गया है। अभियुक्त फग्गू की जामातलाशी से दाहिने हाथ से एक अदद अद्धी बन्दूक बारह बोर, शर्ट की जेब से एक अदद कारतूस, उसके अंदर एक खोखा कारतूस बरामद होना कहा गया है। अभियुक्त मिश्रीलाल की जामातलाशी से एक लाठी होना कहा गया है तथा अभियुक्त विशम्भर जामातलाशी बांये हाथ में एक पेचकश लोहे का बरामद होना कहा गया है। मौके पर ही बरामद वस्तुओं को सफेद कपडे में सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाया जाना भी कहा गया है।

28– पत्रावली पर आर्मोरर रिपोर्ट भी उपलब्ध है। फर्द में यह कहीं नहीं लिखा है कि किस नाम की नमूना मोहर बनायी गयी, न ही आर्मोरर रिपोर्ट में यह लिखा है कि माल खोलने पर कौन सा नमूना मोहर पाया गया, न ही माल प्रस्तुत होने के समय कपडा एवं नमूना मोहर ही पायी गयी। न्यायालय में जो माल प्रस्तुत हुआ उस समय किसका नमूना मोहर सील लगी थी, यह नहीं पाया गया। न्यायालय के समक्ष लाठी एवं पेचकस भी पुलिस द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। आर्मोरर रिपोर्ट के अनुसार दोनों असलहे चालू हालत में थे। नमूना मोहर न्यायालय में साबित नहीं कराया गया है, ऐसी दशा में, यह नहीं कहा जा सकता है कि मौके से ही अभियुक्त के पास से असलहे बरामद किये गये हो और उन्हें सील सर्व मोहर किया गया हो। जहां असलहे सील सर्व मोहर होना साबित नहीं है एवं दो अभियुक्तों के पास से जो वस्तुयें बरामद होनी कही गयी हैं, वे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है, यह संदेह उत्पन्न करता है कि पुलिस द्वारा मौके से अभियुक्तों के पास से कोई वस्तु बरामद की गयी थी अथवा नहीं। चूंकि मामले में

बरामदगी साबित नहीं है एवं घटना के समय अंधेरा था। गोली किसके द्वारा चलायी गयी, इस संबंध भी कोई भी साक्ष्य नहीं है। अतः ऐसी दशा में यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि पुलिस द्वारा जो मौके पर अभियुक्तों पकडे गये, उन्हीं द्वारा पुलिस पर गोली चलायी गयी थी।

29– इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्य की विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण **ओमकार, फग्गू, विशम्भर तथा मिश्रीलाल** के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–307,401,398 भा०द०सं० एवं अभियुक्त ओमकार के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा–25(I–B) आयुध अधिनियम के आरोपों को युक्ति–युक्त ढंग से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाते हुये उपरोक्त आरोपों से **दोषमुक्त** किये जाने योग्य है।

आदेश

30– सत्र परीक्षण संख्या–433/2014, राज्य प्रति ओमकार आदि, मु०अ०सं०–512/2006, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी के मामले में अभियुक्तगण **ओमकार, फग्गू, विशम्भर तथा मिश्रीलाल** को अन्तर्गत धारा–307,401,398 भा०दं०सं० के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुये **दोषमुक्त** किया जाता है।

31– इसके अतिरिक्त सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या –434/2014, राज्य प्रति ओमकार, मु०अ०सं०–513/2006, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी, के मामले में भी अभियुक्त **ओमकार** को आयुध अधिनियम की धारा–25(I–B) के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये **दोषमुक्त** किया जाता है।

32– अभियुक्तगण जेरे जमानत न्यायालय में उपस्थित हैं, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

33– अभियुक्तगम प्रत्येक को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त सत्र परीक्षणों में दोषमुक्ति की बाबत धारा–437 ए दं0 प्र 0 सं0 के प्राविधानों के अन्तर्गत मु0 50,000/(पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही राशि की दो –दो प्रतिभू इस आशय की प्रस्तुत करे कि यदि उक्त सत्र परीक्षणों में पारित दोषमुक्ति आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाती है एवं उन्हें तलब किया जाता है, तो वह वहॉ उपस्थित होंगा। यह बंधपत्र 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

34– बरामद माल मुकदमा (तमंचा व कारतूस) अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा। यदि इस निर्णय के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं की जाती, तो अपील की अवधि समाप्त होने के पश्चात, माल मुकदमा नियमानुसार निस्तारित हो।

35– इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या –434/2014 (राज्य बनाम ओमकार) की पत्रावली पर भी रखी जाये।

36– निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी को जरिये अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं एक प्रति सचिव जिला विधिक प्राधिकरण को प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

(अशोक कुमार दुबे–प्रथम)
दिनांक–21.08.2026 **प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,**
लखीमपुर खीरी।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(अशोक कुमार दुबे–प्रथम)
दिनांक–21.08.2026 **प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,**
लखीमपुर खीरी।
JO CODE–UP6081

Digitally signed by ASHOK KUMAR DUBEY
Date: 2026.08.29 12:04:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court